

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4-9 /2024 /29-1/
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

1. समस्त संभागायुक्त,
छत्तीसगढ़
2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन विषयक ।

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भाँति खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से धान का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. समर्थन मूल्य –

भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए औसत अच्छी किस्म (F.A.Q.) के धान के उपार्जन के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जावे—

धान कॉमन	—	रुपए 2300 प्रति विवंटल
धान ग्रेड ए	—	रुपए 2320 प्रति विवंटल

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु धान एवं चावल के लिए निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों की छायाप्रति परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

2. उपार्जन की समयावधि –

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 14 नवंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक की जावेगी।

3. प्रति एकड़ खरीदी निर्धारण –

खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 विवंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है।

4. उपार्जन एजेंसी –

4.1. राज्य के समस्त जिलों में धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा द्वारा किया जावेगा।

4.2. धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों

एवं लेप्स के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेप्स के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

- 4.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।
 - 4.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेप्स को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।
 - 4.5. खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों में एवं खरीफ वर्ष 2024–25 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में की जाएगी । खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समयानुसार कर ली जावे ।
 - 4.6. प्रदेश में 56 मंडियों एवं 85 उपमंडियों के प्रांगण का उपयोग विगत खरीफ विपणन वर्ष अनुसार धान उपार्जन केन्द्र हेतु किया जाएगा (परिशिष्ट-2) । यथासंभव कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इसमें बढ़ोत्तरी की जा सकेगी ।
 - 4.7. राज्य की मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।
5. उपार्जन की अनुमानित मात्रा –
- खरीफ वर्ष 2024–25 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 160 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक परिशिष्ट-3 पर संलग्न है । धान खरीदी कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित मात्रा की वास्तविक जानकारी ज्ञात हो सकेगी एवं तदनुसार निराकरण की कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।
6. साख-सीमा की व्यवस्था –
- धान के उपार्जन हेतु आवश्यक साख-सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा की जावेगी ।
7. उपार्जन की प्रक्रिया –
- 7.1 खरीफ वर्ष 2023–24 की भाँति खरीफ वर्ष 2024–25 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी है । अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा सभी ग्रामों में इसका प्रचार-प्रसार कर दिया जाये ।

- 7.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्य मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक / अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा । अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी किसानों के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो, यदि किसी किसान की ऋण पुस्तिका बैंक / अन्य संस्थाओं के पास रखी हो तो उसे डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जावे ।
- 7.3 अधिया / रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वयं का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।
- 7.4 समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा ।
- 7.5 प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों से फेल धान बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हाँकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन दिनांक 01 मार्च, 2025 से 31 मई, 2025 तक किया जावे । कृषि विभाग द्वारा धान बीज उत्पादक कृषकों का डाटाबेस तैयार कर, डाटाबेस में समस्त आवश्यक आंकड़े (यथा कृषकों द्वारा धारित कुल रकबा, प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु उपयोग रकबा, कृषक द्वारा धान बीज का कुल उत्पादन, स्वीकृत मात्रा, अस्वीकृत मात्रा इत्यादि) प्रदाय किया जावेगा । खाद्य विभाग द्वारा बीज उत्पादक कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं फेल धान बीज के आंकड़ों का गिलान करते हुए, FAQ मापदंड अनुसार फेल धान बीज विक्रय सुनिश्चित किया जावेगा ।
- 7.6 लिकिंग योजना के अंतर्गत विगत खरीफ वर्ष की भाँति खरीफ वर्ष 2024–25 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।
- 7.7 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।
- 7.8 विगत वर्ष की भाँति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । किसानों के खाते में राशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. सिस्टम के माध्यम से की जावेगी । यह सुनिश्चित किया जावे कि धान विक्रय करने वाले कृषक के ही खाते में समर्थन मूल्य अंतरित किया जावे । कृषक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में राशि अंतरण की मांग किये जाने पर भी, अन्य के नाम के खाते में अंतरण नहीं किया जावेगा । इस हेतु पंजीयन डाटाबेस की पूरी जांच पड़ताल कर ली जावे ।

7.9 खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान की खरीदी की जावे । धान खरीदी के लिए सीमांत एवं लघु कृषक को अधिकतम दो टोकन एवं दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय किया जावे । धान खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान लाकर विक्रय कर सके । धान खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नहीं की जावे । धान खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।

8. बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न खरीदी व्यवस्था :-

- 8.1 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1(4)/2018-Py.I दिनांक 03.05.2023 (परिशिष्ट-4) में धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये गये हैं । खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 3(6)/2024-Py.I दिनांक 12.09.2024 में भी खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में Minimum Thereshold Parameter के अंतर्गत इसे लागू करने के निर्देश दिये गये हैं । खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ वर्ष 2024–25 में गत वर्ष अनुसार बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू रहेगी ।
- 8.2 बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न खरीद व्यवस्था के माध्यम से खरीदी हेतु किसान पंजीयन करने के संबंध में दिशा-निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–9 / 2024 / 29–1 / दिनांक 08.08.2024 (परिशिष्ट-5) को जारी किया गया है, तदनुसार पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
- 8.3 बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी हेतु किसान स्वंय या उसके द्वारा नामांकित एक नामिनी को खरीदी केन्द्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन के आधार पर धान विक्रय किया जा सकेगा । नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू सगा भाई/बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा ।
- 8.4 यदि उपरोक्त आधार पर धान खरीदी विक्रय में कठिनाई आती है तो Trusted Person के द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन कर धान विक्रय किया जा सकेगा । Trusted Person का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, इस संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–8 / खाद्य / 2023 / 29–1 / पार्ट दिनांक 17.08.2023 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
- 8.5 आधार प्रमाणीकरण यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं होता है उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाइल नंबर में OTP भेजकर किसान, नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी रहेगा ।
- 8.6 बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए ।
- 8.7 किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ।
- 8.8 प्रत्येक खरीदी केन्द्र में बायोमेट्रिक आधारित खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विपणन संघ द्वारा की जावे । प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया को समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु लागू करने पर आने

वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रावधिक कास्टशीट में प्रशासकीय व्यय मद अंतर्गत मान्य किये जाने का अनुरोध खाद्य विभाग भारत सरकार से किया जाए। यदि खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा उपरोक्त व्यय प्रशासकीय व्यय मद में मान्य नहीं की जाती है तो इसका व्ययभार राज्य शासन को वहन करना होगा।

9. बारदानों की व्यवस्था –

- 9.1 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में भारत शासन की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान उपार्जन एवं चावल जमा करने हेतु बारदाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे। खाद्य विभाग, भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति संबंधी जारी पत्र क्रमांक 15-8/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 18 मई, 2017 की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। नवीन नीति अनुसार धान की खरीदी शतप्रतिशत नये बोरो में करने के बजाय, 50 : 50 के अनुपात में नये एवं पुराने बोरो में की जावेगी। नये जूट बोरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमी की पूर्ति Used Gunny Bags से करते हुए अनुपात बनाये रखा जाए।
- 9.2 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए आवश्यक नये जूट बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता से क्य कर किया जावेगा एवं जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे। चावल का उपार्जन केवल नये जूट बारदाने में किया जाए।
- 9.3 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु 0.30 लाख गठान नये जूट बारदाने जेम पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त बारदाने जूट कमिश्नर के माध्यम से क्य किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किया जावे।
- 9.4 Used Gunny Bags की व्यवस्था विगत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 अनुसार की जावे। स्टेंसिल लगाने, स्टेकिंग करने, रिकार्ड बनाये रखने, क्लेम करने का उत्तरदायित्व उपार्जन एजेंसियों यथा समिति, मार्कफेड एवं चावल उपार्जन एजेंसी का होगा। उक्त बारदानों को पलटी कर एवं सही तरीके से निर्धारित नीला रंग में स्टेंसिल किया जावे एवं बारदाने में “Used bag allowed for KMS 2024-25” का स्टेंसिल लगाया जावे। Used Gunny Bags की व्यवस्था के संबंध में विपणन संघ द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जावे। Used Gunny Bags में धान का उपार्जन किया जा सकेगा।
- 9.5 मार्कफेड के पास गत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के शेष नये जूट बारदाने में खरीफ वर्ष 2024–25 में धान एवं चावल उपार्जन किया जाये। उक्त बारदाने का भौतिक सत्यापन मार्कफेड द्वारा एफ.सी.आई. के साथ करा लिया जावे। मार्कफेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि गत खरीफ विपणन वर्ष के उपलब्ध सभी नये जूट बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान खरीदी हेतु हो जावे।
- 9.6 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान खरीदी हेतु आवश्यक पुराने बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार किया जावे, यथा –
- (i) मिलर के पास उपलब्ध गत खरीफ वर्षों के उपलब्ध पुराने बारदाने
 - (ii) पीडीएस के बारदानों
 - (iii) किसान से प्राप्त पुराने जूट बारदानों
 - (iv) समितियों द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने जूट बारदानों
 - (v) खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किये गये जूट बारदानों आदि से की जाए। पुराने बारदानों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदान किया जावे।

- 9.7 पुराने बोरों का धान खरीदी में उपयोग किये जाने पर भारत शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क का भुगतान किया जावेगा। पुराने बारदाने के उपयोगिता शुल्क भुगतान के संबंध में खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 18 मई, 2017, पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 एवं 15-14/2018-Py.III दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-6, परिशिष्ट-7 एवं परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।
- 9.8 पुराने बारदानों की व्यवस्था के संबंध में इस बात का ध्यान रखा जावे की कृषक से बारदाने प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न न हो, किन्तु विशेष परिस्थिति में ही विपणन संघ की अनुमति के पश्चात ही कृषक बारदाने का उपयोग किया जावे।
- 9.9 खरीफ वर्ष 2024-25 में पुराने जूट बारदाने की दर 25 रुपये प्रति नग निर्धारित की जाती है।
- 9.10 पुराने बारदानों के आंतरिक परिवहन हेतु प्रदायकर्ताओं (मिलर/समिति/विपणन संघ आदि) को परिवहन शुल्क प्रदान किया जावे। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने पर 'अतिरिक्त व्यय' मद से भुगतान हेतु शामिल किया जावे।
- 9.11 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी।
- 9.12 संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- 9.13 धान उपार्जन हेतु जूट कमिशनर से क्रय कर प्रदाय किए गए नये बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए। इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें।
- 9.14 जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भंडारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके।
- 9.15 समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त नए बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे। यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रासंगिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे। इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।
- 9.16 किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने) का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने) जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे। समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे।
- 9.17 बारदाने की गुणवत्ता एवं विभिन्न स्तर पर बारदाने का रिकार्ड संधारण हेतु मार्कफेड द्वारा निर्देश जारी किया जाए एवं विभाग को सूचित किया जाए।
- 9.18 पुराने बारदाने की व्यवस्था के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-2/2024/29-1 दिनांक 03 अप्रैल, 2024 (परिशिष्ट-9) द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

- 9.19 मार्कफेड द्वारा समितिवार नये एवं पुराने बोरे की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे । मिलर के पास उपलब्ध पुराने बारदाने को धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराने हेतु टैगिंग का कार्य मार्कफेड द्वारा यथाशीघ्र कर लिया जावे । पीडीएस के पुराने बारदानों को समीपस्थ खरीदी केन्द्र एवं मार्कफेड के बारदाना संग्रहण केन्द्र में पहुंचाने का कार्य समयानुसार कर लिया जावे । मार्कफेड द्वारा धान खरीदी आकलन एवं आवक को ध्यान में रखते हुए नये एवं पुराने बारदाने की उपलब्धता समयानुसार सुनिश्चित की जावे । मार्कफेड द्वारा समिति एवं संग्रहण केन्द्र स्तर पर नये एवं पुराने बारदानों में धान के रखरखाव, उठाव, डिजीटल प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।
- 9.20 खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 के समितियों के पास शेष उपयोगी नये जूट बारदाने/पुराने जूट बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान खरीदी हेतु उपयोग किया जाए एवं इस हेतु विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जाए । इसका भौतिक सत्यापन भी करा लिया जावे ।
- 9.21 समिति में धान खरीदी के लिए मिलर से पुराने बारदाने आवश्यकतानुसार ही लिया जावे । मिलर द्वारा खराब/अमानक किस्म का बारदाना दिये जाने पर उसे मिलर को वापस किया जावे । मिलर द्वारा अतिरिक्त बारदाना उपलब्ध कराये जाने पर उसे वापस किया जावे । इसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में करने हेतु प्रावधान किया जावे । विपणन संघ द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियम-शर्त एवं दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।
- 10 उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था –**
- 10.1 छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक 2540 / एफ–03 / 19 / विविध / 2021 / 14–2 दिनांक 27.06.2024 एवं पत्र दिनांक 16.07.2024 में एकीकृत किसान पोर्टल (Unified Farmer Portal-UFP) के संचालन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुक्रम में खाद्य विभाग द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–15 / 2024 / 29–1 / दिनांक 08.08.2024 जारी किये गये हैं, तदनुसार किसान पंजीयन की कार्यवाही समयानुसार सुनिश्चित की जावे ।
- 10.2 कृषकों द्वारा विक्रय किये गये धान की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजीटल मोड से किया जायेगा । यथाशीघ्र यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषकों के खाते खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।
- 10.3 सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।
- 10.4 खरीफ वर्ष 2024–25 हेतु धान की खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके ।
- 10.5 सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान के खरीदी अवधि के बैनर के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को भी प्रदर्शित किया जावे ।
- 10.6 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में धान खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जावे, अपवादिक स्थिति में ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के पश्चात तौल कांटा-बांट के माध्यम से धान की खरीदी की जा सकेगी । इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र की व्यवस्था समिति द्वारा सुनिश्चित की जावे ।

- 10.7 धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे-बांट तथा जिलों के संग्रहण केन्द्रों एवं चावल उपार्जन गोदामों के धरमकांटों का सत्यापन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित होना चाहिए। बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे— इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेन्ड्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है। धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों के बांट माप के ऑनलाईन सत्यापन के संबंध में नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी पत्र क्रमांक 904 /वि.मावि./धान खरीदी/2024 दिनांक 23.09.2024 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-10 पर संलग्न है। उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाण-पत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावे, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें।
- 10.8 धान उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस-पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊँचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो। उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, डेनेज सामग्री / सीमेट ब्लॉक / फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए। उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया जावे।
- 10.9 धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नभी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे। आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे। सभी खरीदी केन्द्रों में आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में होनी चाहिए। आर्द्रतामापी यंत्र का कैलैब्रेशन यथाशीघ्र धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व करा लिया जावे। जिन स्थानों पर आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं है, वहां समिति द्वारा नये आर्द्रतामापी यंत्र की व्यवस्था की जावे। अपैक्स बैंक द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से संपर्क कर मापदण्ड प्राप्त किया जावे। उपार्जन केन्द्रों में नभी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे। किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नभी का धान क्रय नहीं किया जावे। एन.आई.सी. के द्वारा समितियों में धान की आर्द्रता एवं अन्य विनिर्दिष्टियों की एंट्री हेतु प्रावधान किया जावे।
- 10.10 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे।
- 10.11 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।
- 10.12 प्रत्येक गांव में धान के बोवाई रकबे के साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल कटाई प्रयोग अनुसार औसत उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे।
- 10.13 धान की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र/कांटे-बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे।

11 उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण –

- 11.1 खरीफ वर्ष 2023–24 की भाँति खरीफ वर्ष 2024–25 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है। जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराई जावे –
- 11.1.1 खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में संलग्न चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही की जाए (परिशिष्ट-11)। विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए। ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त किया जाए। जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के.रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए। साथ ही नोडल अधिकारी के द्वारा दिनांक 02 नवंबर, 2024 तक खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर चेक लिस्ट में जानकारी भरकर जिला खाद्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे। खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट की जानकारी की एंट्री दिनांक 05 नवंबर, 2024 तक अपने मॉड्यूल में करायी जावे, ताकि द्राघल रन के दौरान धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की जा सके। उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2024–25 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु एन.आई.सी. एवं विपणन संघ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 11.1.2 धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे।
- 11.1.3 कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके।
- 11.2 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में सभी खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे, ताकि वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए। इससे बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था, धान के लिये राशि एवं बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान–प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेकटीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे।
- 11.3 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समितियों में डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था निम्नानुसार की जावे :-
- 11.3.1 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए समितियों में डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का नियोजन समितियों के माध्यम से किया जाए एवं उन्हें 12 माह के लिए मानदेय रु. 18420/- प्रतिमाह प्रदान किया जाए।
- 11.3.2 इस पर आने वाले व्ययभार की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा खाद्य विभाग भारत सरकार से प्रशासकीय व्यय अंतर्गत दावा (क्लेम) किया जावे। खाद्य विभाग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा उक्त व्ययभार अतिरिक्त व्यय मद के रूप में वहन किया जायेगा।
- 11.3.3 आगामी खरीफ वर्ष 2025–26 में समितियों में डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा आउट सोर्सिंग से नियोजित करने के संबंध में माह अप्रैल 2025 में कार्यवाही की जावे। यह व्यय भारत सरकार के प्रावधिक लागत पत्रक में उल्लेखित प्रशासकीय व्यय अंतर्गत दावा योग्य होगी।

- 11.4 ऑनलाईन खरीदी केन्द्रों का डेटा नियमित अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये । सभी उपार्जन केन्द्रों का अद्यतन डाटा अपलोड करना जिले के खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक व जिला विपणन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । समिति का डेटा 72 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- 11.5 खरीफ वर्ष 2024–25 के दौरान संचालित मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।
- 11.6 जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे । कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।
- 11.7 धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2024–25 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।
- 11.8 धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में दिनांक 7 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 11 नवंबर, 2024 तक चलेगा । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 04 नवंबर, 2024 तक पूर्ण हो जाए और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।
- 12 उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण –**
- 12.1 खरीदी केन्द्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (परिशिष्ट-1) के धान की खरीदी एवं चावल उपार्जन हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राज्य भण्डार गृह निगम, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को संभागवार प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एन.आई.सी. द्वारा दिया जावे । मार्कफेड द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम, कलेक्टर एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा कर संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर आयोजित किया जावे ।
- 12.2 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अनुविभाग स्तर पर सहकारी समितियों से दो व्यक्तियों अर्थात् समिति के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों को निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जावे । अनुविभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किया जावे । अनुविभागवार प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण किया जावे ।
- 13 गुणवत्ता –**
- 13.1 उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार (परिशिष्ट-1) औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू) का धान क्रय किया जावेगा ।

13.2 एफ.ए.क्यू. धान का क्य सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में संग्रहण केन्द्र स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

13.2.1 जिले में प्रत्येक संग्रहण केन्द्र स्तर पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जावे, जिसमें खाद्य, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों। उक्त दल के द्वारा संग्रहण केन्द्र से संबंधित समितियों में धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जावेगी एवं समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर धान की गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा। संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे। संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा। धान रिजेक्ट होने पर या तो समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा।

13.2.2 सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को समिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि

4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

13.2.3 उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान पंजीकृत किसानों से ही क्य किया जाए।

13.2.4 जिले में संग्रहण केन्द्र एवं समिति स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध कराया जावे।

14 भुगतान व्यवस्था –

14.1 किसानों को धान की राशि का भुगतान डिजीटल मोड से उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये। अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे।

14.2 धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः आवश्यकतानुसार उनकी साख सीमा निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे।

14.3 मार्कफेड द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे।

14.4 मार्कफेड द्वारा खरीदी अवधि के दौरान धान उपार्जन हेतु धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा। समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी।

14.5 प्रासंगिक व्यय व धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा।

15. भण्डारण व्यवस्था –

- 15.1 धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डेज मटेरियल एवं कैप कवर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा। धान को खुले में कैप कवर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्य किए गए कैप कवर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डेज सामग्री एवं कैप कवर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- 15.2 सभी संग्रहण केन्द्रों में खरीदी केन्द्रों से आने वाले धान की नमी की जांच हेतु आद्रतामापी यंत्र रखा जाये। आद्रतामापी यंत्र का यथाशीघ्र कैलीब्रेशन करा लिया जाये।
- 15.3 मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में यथासंभव मार्कफेड द्वारा धरमकांटा लगवाने की व्यवस्था की जाए।
- 15.4 खरीफ वर्ष 2024–25 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में भी धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे।
- 15.5 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी अवधि के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे जो समिति से आने वाले धान के तौल, पावती प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा।
- 15.6 मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे।
- 15.7 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग / भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु एवं उपलब्ध मिलिंग क्षमता के उपयोग हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकतानुसार भण्डारित किया जाए। उक्त हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु अनुमानित धान भण्डारण की कार्ययोजना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। धान खरीदी का कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित धान की मात्रा के आधार पर कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी।
- 15.8 खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को मार्कफेड द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अनिवार्य रूप से उठाव कराया जावे।
- 15.9 धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।

16. परिवहन व्यवस्था –

- 16.1 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में गत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार परिवहन शुल्कों का निर्धारण किया जाए। खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (परिशिष्ट-12) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान / सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा।
- 16.2 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा।
- 16.3 धान के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन न किये जाने पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है। मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये

जाने की स्थिति में स्वीकृत परिवहन दर पर समितियों द्वारा धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासारिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी । समितियों द्वारा धान परिवहन कराये जाने पर संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण करने हेतु उचित व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जावे ।

- 16.4 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट में संशोधन करने हेतु जिले स्तर पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का संयुक्त दल गठित किया जाता है । उपरोक्त दल उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का भौतिक रूप से परीक्षण कर अपनी अनुशंसा कलेक्टर का प्रेषित करेंगे । कलेक्टर द्वारा परीक्षण उपरांत उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का निर्धारण किया जावेगा एवं बफर लिमिट निर्धारण की जानकारी प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रेषित की जावेगी, तदनुसार विपणन संघ द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से बफर लिमिट की एंट्री की जावेगी । खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा बफर स्टॉक की सीमा से ज्यादा होने पर उसका यथाशीघ्र उठाव कराया जावे ।
- 16.5 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलों का संलग्नीकरण परिशिष्ट-3 में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिवर्तन किया जा सकता है । खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना परिशिष्ट-3 में दर्शित है ।
- 16.6 मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।
- 16.7 धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा । परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जावे ।
- 16.8 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें । चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता फॉरेस्ट एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जावे । सीमावर्ती जिलों की 76 खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जावे, ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-13 पर संलग्न है ।
- 16.9 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है । धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2025 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा । सुपर फाइन किस्म का धान जो 2800 रूपये प्रति किवंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है । परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा ।

- 17. हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय –**
- 17.1 खरीफ वर्ष 2024–25 में धान के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।
- 17.2 धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –
- 17.2.1 उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि (मंडी लेबर चार्ज) का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा पश्चात भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार देय होगी । धान भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 5.00 रुपये प्रति विवर्टल के मान से देय होगी ।
संग्रहण केन्द्रों में हैण्डलिंग चार्ज का निर्धारण उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।
- 17.2.2 समितियों को धान उपार्जन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा ।
- 17.2.3 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में जिन उपार्जन केन्द्र (समिति) द्वारा निरंक शार्टेज किया जावेगा उन समितियों में क्य किये गये धान पर प्रति विवर्टल 5 रुपये की दर से बैंक व्यय प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं रायगढ़, जशपुर जिले हेतु अपैक्स बैंक को किया जाए, जो निम्न सीमा के अधीन होगा
“परन्तु किसी भी जिले के लिए उस जिले में हुए धान उपार्जन के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक / अपैक्स बैंक – (रायगढ़, जशपुर एवं सारंगढ़ के 60 उप केन्द्र) को देय होगा ।”
- 17.2.4 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में अपैक्स बैंक को समन्वय एवं पर्यवेक्षण शुल्क 50 पैसा प्रति विवर्टल की दर से उन्ही उपार्जन केन्द्रों के लिए दिया जाए, जिनके द्वारा निरंक शार्टेज किया जावेगा, जो कि अधिकतम 04 करोड़ रुपये तक होगा ।
- 17.2.5 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।
- 17.2.6 मार्कफेड को मिलर्स को अरवा / उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।
- 17.2.7 समिति स्तर पर समिति द्वारा मिलर को धान लोड कर प्रदाय किया जावे । संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे ।
- 18. कस्टम मिलिंग –**
- 18.1 खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा । धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।
- 18.2 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भाँति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

19 पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

- 19.1 धान उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी। इस संबंध में प्रति वर्ष अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।
- 19.2 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे। कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा। कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे। प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे।
- 19.3 जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा। जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे। इसके साथ ही धान के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराई जावे।
- 19.4 उपार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- 19.5 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में विगत खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में 1 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन खरीदी की जावे। समिति लेखा मिलान नहीं करने वाले उपार्जन केन्द्रों एवं 3 प्रतिशत से अधिक सूखत वाले उपार्जन केन्द्र में कार्यरत प्रबंधकों एवं डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को धान खरीदी कार्य से पृथक रखने की यथासंभव कार्यवाही की जावे। अपैक्स बैंक द्वारा ऐसे केन्द्रों की सूची पृथक से जारी की जावे एवं विपणन संघ, विभाग को भी अवगत कराया जावे।
- 19.6 धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर यथाशीघ्र धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे।
- 19.7 समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता, सचिव (खाद्य) अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

20 सुरक्षा व्यवस्था –

धान उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

21 बीमा –

- 21.1 प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।
- 21.2 यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी ।
- 21.3 धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 तक उपलब्ध कराई जाये ।

22 खरीदी केन्द्रों का मिलान –

धान खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मार्कफेड द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक पूर्ण किया जाए ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

Rinkha

(ऋचा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

पृ.क्रमांक एफ 4-9 / 2024 / 29-1 /

प्रतिलिपि –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
6. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को कंडिका 20 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कंडिका 19.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।

14. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., नवा रायपुर अटल नगर।
15. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर।
18. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, नवा रायपुर अटल नगर।
19. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर।
20. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
21. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
23. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को बिन्दु क्रमांक 10.6 के संदर्भ में परिपालन हेतु।
24. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
25. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर। उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित।
26. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर।
27. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
28. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़।
29. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़।

Rinkha
 अपर मुख्य सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

412102-1

MOST URGENT
BY EMAIL

No.8-1/2022-S&I (E-381310)

Government of India

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 13.09.2024

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)


Sub: Uniform specifications of paddy, rice, coarse grains and 06 minor millets for Kharif Marketing Season (KMS) 2024-25 for central pool procurement-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice, coarse grains and 06 minor millets namely *i.e.* Foxtail Millet (Kangani/Kakun), Proso Millet (Cheena), Kodo Millet (Kodo), Little Millet (Kutki) and two Pseudo Millets; Buck-wheat (Kuttu) & Amaranths (Chaulai) for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2024-25.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get the due price for their produce and that rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice, coarse grains & minor millets during KMS 2024-25 may be ensured by all the States/Union Territories (UTs) and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.
3. Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the Uniform Specifications of rice for KMS 2024-25 are also enclosed.
4. Receipt of this communication may please be acknowledged.
5. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Vishwajeet Haldar)
Joint Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Encl: As above.

Copy to:

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.

3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/Sr. Economic Advisor./JS (P&FCI)/JS (Admin. & CVO) / JS (Stg. & PG)/JS (BP, PD and S&R).
8. Director (PD-II)/ Director (Ply-II, III & FC-III) /Director (FCI)/ Director (Fin. & Budget)/ Director (Mov.)/ Director (Impex & HVOC) /Director (NAC, ICT & DGQI)/ Director (S&VO, SP, SDF & SPF)/ Director (NFSA)/ Joint Director (PD- I & III)/ DS (FC, A/cs.)/ DS (Py-I & IV)/ JC (S&R).
9. All QCC/IGMRI Offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (QC)/AD (S&I)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY **(KHARIF MARKETING SEASON 2024-2025)**

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, uniform in color and size of grains, and free from molds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana*, *Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances. All Paddy varieties are classified into two Grades i.e. 'A' and 'Common' based on the length and breadth ratio (L:B). If the ratio is greater than & equal to 2.5, then, it is classified as Grade 'A' and if the ratio is less than 2.5, then, it is classified as 'Common'.


SCHEDULE OF SPECIFICATION

S.No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	1.0 1.0
2.	Damaged, discolored, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS 4333(Part 1):2018 and IS 4333(Part 2): 2017 and 'Terminology for foodgrains' IS 2813:1995 & IS 2813:2019, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biju' or a similar name, with the date '13/9/2024' written below it.

**UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
(KHARIF MARKETING SEASON 2024-2025)**

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, uniform in color and size of grains. Rice shall also be free from molds, weevils, obnoxious smell, an admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or coloring agents & all impurities except to the extent in the schedule below.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S.No	Refractions	Maximum Limit (%)	
		Grade 'A'	Common
1.	Broken*	Raw	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5
		Raw	3.0
3.	Damaged *** / Slightly Damaged Grains	Parboiled/ single parboiled rice	4.0
		Raw	3.0
4.	Discolored Grains	Parboiled/ single parboiled rice	5.0
		Raw	3.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)@@	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.	

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.2% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

*** Including pinpoint damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture, a value cut will be applicable at the rate of full value.

@@ Blending ratio may vary from a range 0.9 to 1.20% by weight in fortified rice subject to satisfying the prescribed micro-nutrient level as per the CoA of FRK.



- 21 -

NOTE:

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" Nos IS 4333(Part 1):2018 and IS 4333(Part 2): 2017 and "Terminology for foodgrains" IS 2813:1995 & IS 2813:2019 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than $\frac{1}{4}$ th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than $\frac{1}{8}$ th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.20% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on the surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.



STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs along with updated illustrations for KMS 2024-25 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.
2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S.No	Refractions		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Grade 'A' & Common Common (At the time of procurement)	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common Common (At the time of distribution)
1.	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2.	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3.	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4.	Chalky Grains	Raw	5	5
5.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7.	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0



 - 23 -

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विषयन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर-24, कथावांधा, अटल नगर,
नवा रायपुर-492018 GSTIN-22AABTC0154C1DW

परिविकाल - 2

फोन-2990592, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriporta.cg.nic.in

(दिनांक 14.10.2024 की स्थिति में)

ऐसे मंडी/उपमंडी प्रांगण जहाँ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र स्थापित है, की सूची (वर्ष 2023-24)

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मंडी/उपमंडी		
			मंडी	क्र.	उपमंडी
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	1	रायपुर	1	सिलयारी (रायपुर)
		2	नवापारा	2	नवापांव (नवापारा)
		3	आरंग	3	मंदिरहसौद (आरंग)
		4	नेवरा	4	भैसा (आरंग)
		5	अमनपुर		खुरोरा (नेवरा)
2	बलौदाबाजार—भाटापारा	6	भाटापारा	6	सिमगा (भाटापारा)
		7	बलौदाबाजार	7	पलारी (बलौदाबाजार)
		8	कसडोल	8	पनगांव (खपरी)(बलौदाबाजार)
					—
3	गरियाबंद	9	गरियाबंद	9	छुरा (गरियाबंद)
		10	राजिम	10	देवभोग (गरियाबंद)
		11	महासमुद्द	11	फिरोश्वर (राजिम)
4	महासमुद्द	12		12	झलप (महासमुद्द)
		13		13	भोरिंग (महासमुद्द)
		14	बागबाहरा		—
		15	बसना	14	भंवरपुर (बसना)
		16	सरायपाली	15	सिंघनपुर (बसना)
		17		16	बलौदा (सरायपाली)
		18	पिथौरा	17	तोषगांव (सरायपाली)
		19		18	भुरकोनी (पिथौरा)
		20		19	पिरदा (पिथौरा)
		21	धमतरी		आमदी (धमतरी)
5	धमतरी	22			छाती (धमतरी)
		23	कुरुद		भखारा (कुरुद)
		24			सिरी (कुरुद)
		25			भेण्डरी (कुरुद)
		26			मगरलोड (कुरुद)
		27			बोराई (नगरी)
		28			बेलरगांव (नगरी)
6	बालोद	29	नगरी		बेलरबाहरा (नगरी)
		30			गटासिल्ली (नगरी)
		31			मुजगहन गूरुर (बालोद)
		32			डौण्डी (बालोद)
			—		डौण्डीलोहारा (बालोद)

ऐसे मंडी/उपमंडी प्रांगण जहाँ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र स्थापित है, की सूची (वर्ष 2023-24)

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मंडी/उपमंडी		
			मंडी	क्र.	उपमंडी
1	2	3	4	5	6
7	बेमेतरा	19	बेमेतरा	33	बेरला (बेमेतरा)
				34	साजा (बेमेतरा)
				35	थानखम्हरिया (बेमेतरा)
				36	दाढ़ी (बेमेतरा)
8	शाजनांदगांव	20	डोंगरगढ़		-
		21	डोंगरगांव	37	छुरिया (डोंगरगांव)
9	मोहला मानपुर अबागढ़ छौकी	22	बांधाबाजार		-
10	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	23	खैरागढ़		-
		24	गण्डई		-
11	कबीरधाम	25	कवर्धा	38	पिपरिया (कवर्धा)
				39	विरनपुरकला (कवर्धा)
12	बिलासपुर	26	पण्डरिया	40	कुण्डा (पण्डरिया)
		27	बिलासपुर	41	बिल्हा (बिलासपुर)
		28	तखतपुर	42	बेलतरा (बिलासपुर)
		29	कोटा	43	रतनपुर (कोटा)
		30	जयरामनगर		-
13	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	31	पेण्ड्रा		-
14	मुंगेली		-	44	पथरिया (मुंगेली)
				45	सरगांव (मुंगेली)
		32	लोरमी		-
15	जाजगीर-चाम्पा		-	46	शिवरीनाशायण (नैला)
				47	बलौदा (नैला)
			-	48	राहौद (अकलतरा)
		33	चाम्पा	49	बिरी (चाम्पा)
16	सकती		-	50	बाराद्वार (सकती)
		34	आमनदुला	51	चन्दपुर (आमनदुला)
		35	जैजैपुर	52	कोटभी (आमनदुला)
17	कोरबा	36	कटघोरा	53	फल-सब्जी खरमोरा (दादरखुदी) (कटघोरा)
				54	भेसमा (कटघोरा)
18	रायगढ़	37	रायगढ़	55	पुसौर (रायगढ़)
		38	घरघोड़ा	56	धरमजयगढ़ (घरघोड़ा)
		39	खरसिया	57	सलिहाभांता (घरघोड़ा)
			-		-
19	सारंगढ़- बिलाईगढ़		-	58	केडार (सारंगढ़)
		40	बरमकेला	59	सरिया (बरमकेला)
		41	भटगांव	60	सरसीवा (भटगांव)
20	सरगुजा	42	अग्निकापुर (मेण्ड्राकला)	61	उदयपुर (अग्निकापुर)
				62	ककनी (अग्निकापुर)
		43	सूरजपुर		-
21	सूरजपुर	44	प्रतापपुर		-
		45	रामानुजगंज		-
		46	कुसमी	63	राजपुर (कुसमी)
				64	बरियों (कुसमी)

*ऐसे मंडी/उपमंडी प्रांगण जहाँ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र स्थापित है, की सूची (वर्ष 2023-24)

क्र.	जिले का नाम	क्र.	मंडी/उपमंडी		
			मंडी	क्र.	उपमंडी
1	2	3	4	5	6
23	जशपुर	47	जशपुरनगर	65	कुनकुरी (जशपुरनगर)
		48	पत्थलगांव	66	कोतबा (पत्थलगांव)
24	कोरिया	49	बैकुण्ठपुर		—
25	मनेन्द्रगढ़ विरामी भरतपुर	50	मनेन्द्रगढ़		—
26	बस्तर			67	तोकापाल (जगदलपुर)
			—	68	देवडा (जगदलपुर)
				69	लोहाण्डीगुडा (जगदलपुर)
27	कोण्डागांव		—	70	फरसगांव (कोण्डागांव)
				71	हीरापुर (कोण्डागांव)
				72	धनोरा (केशकाल)
		51	केशकाल	73	विश्रामपुरी (केशकाल)
				74	गम्हरी (केशकाल)
				75	बारदेवरी (कांकेर)
28	कांकेर	कांकेर	कांकेर	76	सरोना (कांकेर)
				77	अमोड़ा (कांकेर)
				78	दुधावा (कांकेर)
				79	लखनपुरी (चारामा)
		चारामा		80	नरहरपुर (चारामा)
				81	भानुप्रतापुर (संबलपुर)
		संबलपुर		82	कोरर (संबलपुर)
				83	अंतागढ़ (पखांजूर)
29	दत्तेवाड़ा	56	गीदम		—
30	सुकमा		—	84	सुकमा (कोन्टा)
				85	कुकानार (कोन्टा)
योग :-		56			85

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उत्पादन, समितियों से उठाव, अंतर्राजा निलेग (संलग्निकरण) एवं संग्रहण केन्द्रों में भारतीय की अनुमति दिलेगा

दिनांक 17.09.2024

मा.

प्रौद्योगिकी - ३

क्र.	निवा	खरीफ वर्ष 2024-25 में अनुमति दिलेग उत्पादन	पहल वर्ष 2023-24 में वार्तालाई निवार	निवार द्वारा अनुमति से चाहे उत्पाद				संग्रहण केन्द्रों में प्रबालण			
				सत्र के निवार से	अन्य निवार के निवार	समितियों से दीखे उत्पाद		सत्र एवं अन्य निवार की कैलेंगे से दीखे उत्पाद	सत्र एवं अन्य निवार के कैलेंगे से संग्रहण	अन्य निवार के संग्रहण केन्द्र में संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान	संग्रहण केन्द्रों को कुल प्रदाय धान की मात्रा
						मात्रा	निवा				
1	बस्तर	270742	57572	150000	राष्ट्रपुर/इर्दा/भास्तरी एवं अन्य मैदानी निवे	50000	200000	70742	-	0	70742
2	चाम्पाशुर	112096	3200	9000	बस्तर एवं अन्य मैदानी निवे	50000	59000	0	बस्तर	53096	53096
3	दत्तेश्वर	30493	4400	11500	बस्तर एवं अन्य मैदानी निवे	5000	16500	0	बस्तर	13993	13993
4	कोकर	544224	90200	277318	धानतरी-75000 राष्ट्रपुर-65000 एवं इर्दा-30000	170000	447318	0	धानतरी	96906	96906
5	कोडौलां	306790	49600	148000	धानतरी	100000	248000	0	धानतरी	58790	58790
6	नारायणपुर	32317	4392	15000	धानतरी- / राष्ट्रपुर	10000	25000	0	धानतरी	7317	7317
7	सुकांग	81040	7728	35000	बस्तर एवं अन्य मैदानी निवे	25000	58000	0	बस्तर	23040	23040
8	बिलासपुर	780348	262656	600000	0	600000	180348	0	0	0	0
9	गोरोपेड्यमरवाही	130249	49784	130249	0	0	130249	0	0	0	0
10	जोगणीर लाघा	707437	226764	707437	0	0	707437	0	0	0	0
11	कोरसा	316567	134732	316567	0	316567	0	0	0	0	0
12	झंसी	616735	82824	330500	निवारपुर-120000 कोरसा-30000	150000	480000	0	निवारपुर	136735	136735
13	राष्ट्रपुर	595263	188068	450000	0	0	450000	145263	0	0	145263
14	सातों	571318	192800	571318	0	0	571318	0	0	0	0
15	चारांगदेवी-झंसी	517943	170272	517943	0	0	517943	0	0	0	0
16	बाखोट	326617	156928	600000	धानतरी-25000 टुर्फ-25000	50000	650000	176617	0	0	176617
17	केमोला	1031939	151608	450000	राष्ट्रपुर-80000 बिलासपुर-60000, टुर्फ-60000	200000	650000	50000	टुर्फ/राष्ट्रपुर	331939	331939
18	झंगी	643484	267216	643484	0	0	643484	0	0	0	0
19	कर्मचारी	664157	98408	300000	राष्ट्रपुर-60000 बिलासपुर-60000 टुर्फ-60000	200000	500000	50000	टुर्फ/राष्ट्रपुर	114157	114157
20	गढ़वालां	773756	158560	450000	राष्ट्रपुर-60000 टुर्फ-60000 धानतरी-30000	150000	600000	173756	0	173756	
21	झैरामदुर्दलतापुर	426350	28992	120000	राष्ट्रपुर-40000 टुर्फ-30000 धानतरी-10000	100000	220000	120000	राजनांदगांव / टुर्फ	86350	206350
22	माहसुनमालपुर-बोको	239787	15104	51000	राजनांदगांव-15000 राष्ट्रपुर-5000 धानतरी-5000 बालोट-5000	50000	101000	0	राजनांदगांव	138787	138787

प्रधान मंत्री 2024-25 तक वर्ष 2023-24
में अनुगोषित धारा तक वर्ष 2023-24
में भारीक निवेदित

संयुक्त कल्पना में प्रदर्शित

क्र.	विला	ने अनुगोषित धारा में संपादित	तत्काल वित्त वर्ष		वर्ष के निते वित्त वर्ष		वर्ष के निते के वित्त वर्ष		संवर्धन एवं अन्य वित्ते की समियोजन की वारा		संवर्धन के निते के संग्रहण वित्त वर्ष के संग्रहण क्रम में कुल प्रदाय पान की वारा	
			विला	वारा	विला	वारा	विला	वारा	विला	वारा	विला	वारा
23	बलोदवाहार	962910	14192	450000	संवर्धन-30000 जालताई-30000 सारांठ-15000 संपादन-15000 सती-10000	100000	550000	100000	संवर्धन	312910	412910	
24	धारारी	674312	262336	674312	0	674312	0	674312	0	0	0	
25	गरिमावंद	536768	105464	350000	संवर्धन-25000 जालताई-25000 सारांठ-25000 संपादन-25000 सती-25000	50000	400000	50000	संवर्धन	86768	136768	
26	महासुद	1245963	272912	800000	संवर्धन-35000 जालताई-35000 सारांठ-15000 संपादन-15000 सती-15000	150000	950000	295963	0	295963		
27	रायपुर	787671	465152	787671	0	787671	0	787671	0	0	0	
28	बद्रपुर	285505	68340	215000	0	215000	70505	0	0	0	70505	
29	जसपुर	336458	84404	336458	0	336458	0	0	0	0	0	
30	कोटेरेया	137195	24400	75006	कोरपा/गोपेश्वरहो	62195	137195	0	0	0	0	
31	चारखला	351073	109952	302000	कोरपा	15000	317000	34073	0	34073		
32	झुसन्तर	361945	116032	300000	कोरपा	40000	340000	21945	0	21945		
33	मोराल्लिमिरेखरतपुर	95548	40800	85000	कोरपा	10548	95548	0	0	0	0	
		1600000	4087392	11262258		1737743	13000000	1539213	1460787	3000000		

संपर्क कार्योजना खरीद विषयन दर्थ 2024-25 में अनुगोषित धारा उपर्युक्त एवं गत वर्ष वर्ष/अंतिरिक्त उत्तरवर्त के अधार पर तैयार की गई है। किसी वित्ते में धारा उपर्युक्त कम / अधिक होने अंतिरिक्त धारा उत्तरवर्त कार्योजना वित्तीय छोड़ी। इस संपर्क कार्योजना वित्तीय छोड़ी। इस संपर्क कार्योजना वित्तीय छोड़ी।

412121020

No. 1(4)/2018-Py.I
 Government of India
 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
 Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
 Dated 03-05-2023

To,

The Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary (Food),
 (Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.)

Subject: Deployment of biometric based procurement system, timely payment of MSP and real time sharing of data on CFP - reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that State Govt. of Uttar Pradesh is undertaking procurement of foodgrains through bio-metric based procurement system. To improve transparency in procurement operations, all States/UTs are requested to deploy bio-metric based procurement system and to include this as Minimum Threshold Parameter for procurement under MSP for central pool in addition to two more MTPs i.e. i) Linking of electricity consumption of mills with milled quantity of paddy; & (ii) Tracking of vehicles movement from procurement centres to rice mills and from rice mills to godowns for paddy/rice and from procurement centres to godowns in case of wheat and coarsegrain as requested vide this Department's letter of even number dated 06.01.2023. These may be implemented by **June, 2023**.

2 . Also, as per MoU, MSP payment to farmers is preferably to be made within 48 hours, but it is observed that in practice, States are making MSP payment to farmers in a period ranging from 3 days to 1 months. **Therefore, all State/UT Governments are requested to ensure payment of MSP to farmers preferably within 48 hours from the issue acceptance letter in procurement centre and not more than 7 days in any case, from KMS 2023-24.**

3 . It has also been observed that there are discrepancies in the procurement and MSP payment data shared over Central Food Procurement Portal (CFPP). Hence, it is requested all States/UTs to resolve all discrepancies in sharing data at CFPP portal and to ensure sharing of data on real time basis.

4. Any clarification/assistance, if required, in respect of revised MTP parameters, sharing of procurement data, Shri AJK Jose, Technical Director, NIC (Phone-011-24305725, email-ajk.jose@nic.in) and Shri Ashok Kumar Sinha, Deputy General Manager (IT), FCI (Phone-011-43527480, email-dgmit.fci@gov.in) may be approached. Action taken report may kindly be provided to CGM (IT)/DGM(IT), FCI, New Delhi, Shri AJK Jose, TD, NIC & to this Department at the earliest.

-25-

SS(P)

W.O.
215

V2

g/0522

1/45153/20.33

5. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Signed by Ashok Kumar
Verma

(As Per Date 03-05-2023 10:29:21)

Under Secretary to the Govt. of India
Email:- uspy1.fpd@nic.in

Copy for information and necessary action to:

1. CMD, FCI, New Delhi
2. ED(Proc)/ED(IT), FCI, New Delhi.
3. CGM(IT)/GM(IT)/GM(Pro)/GM(P&R)/DGM(IT), FCI, New Delhi.
4. Ms Sameena Mukhija, Sr. TD/HOD(NIC), DFPD.
5. Shri A.J.K Jose, Technical Director, NIC, DFPD
6. GM, Regional Office, FCI (All States/UTs) - with request to follow up with States/UTs
7. Director (Py-III)/ DS (FC A/Cs), DFPD

प्रियोगिका विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग परिविष्ट (५)

मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4-15/2024/29-1/
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक ०८/०८/२०२४

१. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

२. संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
संचालनालय, नवा रायपुर

३. प्रबंध संचालक,
अपैक्स बैंक, नवा रायपुर

विषय— खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में।

- संदर्भ—१. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2540/एफ-03/19/विविध/2021/14-2 दिनांक 27.06.2024
२. छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2892/एफ-03/19/विविध/2021/14-2 दिनांक 16.07.2024

१/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 27.06.2024 (**परिशिष्ट-१**) अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। इस हेतु कृषि विभाग के परिपत्र क्रमांक 4985/एफ-03/19/विविध/2021/14-2 दिनांक 28.09.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिंदु क्रमांक ५ के अनुसार “एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रक्बे में संशोधन की कार्यवाही ०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर तक की जावेगी।”

तदनुसार एकीकृत किसान पोर्टल में दिनांक ०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर, 2024 तक पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रक्बे के संशोधन की कार्यवाही किया जाना है।

२/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 16.07.2024 अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश में संशोधन हेतु जारी पत्र क. 3165 दिनांक 03.08.2023 (**परिशिष्ट-२**) द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन किये जाने के निर्देश है, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

३/ एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 03.05.2023 के अनुक्रम में खरीद कार्यों में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली गत वर्ष अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में भी लागू रहेगी।

4/ खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में किसान पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे :—

- 4.1 विगत खरीफ वर्ष 2023–24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023–24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जावे । उक्त कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जावे ।
- 4.2 धान के रकबे का राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग से समन्वय कर भौतिक सत्यापन कराया जाए ।
- 4.3 एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2024 तक किये जाने के निर्देश है । अतः किसान पंजीयन संबंधी कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कर लिया जावे ।
- 4.4 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में पंजीकृत धान एवं मक्का कृषकों से ही समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन की कार्यवाही की जावेगी ।
- 4.5 संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज एवं डुबान क्षेत्र के कृषकों का पंजीयन हेतु विगत वर्ष विभागीय पत्र कमांक एफ 4–13/2021/29–1 दिनांक 09.11.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे । उक्त दिशा–निर्देश अनुसार ही खरीफ वर्ष 2024–25 में पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे (परिशिष्ट–3) ।
- 4.6 खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में Aadhar based authentication प्रणाली हेतु किसान पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—
 - 4.6.1 (क) किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है । इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाए । नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू सगा भाई/बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा । साथ ही किसानों से धान खरीदी करने के लिए संभावित Exception के निराकरण हेतु बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन के लिए Trusted Person (विश्वसनीय व्यक्ति) प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु रखा जाए । Trusted Person की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी ।
 - (ख) Aadhar based authentication प्रणाली उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे (परिशिष्ट–4) ।
 - (ग) किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नामिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति रत्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जावे । खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नामिनी की जानकारी एकत्र किया जावे ।
 - (घ) हिस्सेदार/बटाईदार/अधिया रेगा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वयं पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा ।

- (घ) प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवरित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाए ।
- 4.6.2 खरीदी केन्द्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाए ।
- 4.6.3 बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए ।
- 4.6.4 किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ।

कृपया उपरोक्त जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप किसान पंजीयन संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

Kabir
(के. डी. कुंजाम)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग
नवा रायपुर, दिनांक ०४/०८/२०२४

पृ. क्रमांक एफ 4-15 / 2024 / 29-1 /

प्रतिलिपि —

- निज सहायक, मा. मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर । कृपया एकीकृत किसान पोर्टल सॉफ्टवेयर में उचित प्रावधान किये जाने हेतु प्रेषित ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन, रायपुर ।
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर ।
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, रायपुर ।
- समर्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।

Kabir (8) २४

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पुस्तक संख्या 1004
दिनांक 05-06-2024
छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
कं/ २५४० / एफ-०३/१९/विविध/२०२१/१४-२ नवा रायपुर, दि२७/०६/२०२४

प्रति,

K-६५ पृ. ८०४ | ३/२०२४

१. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वने एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
२. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
३. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
४. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
५. संचालक, कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर।
६. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर।
७. राज्य सूचना अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), मंत्रालय, रायपुर।

विषय: एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ: विभागीय पत्र क्रमांक 4985 / एफ-०३/१९/विविध/२०२१/१४-२ दिनांक 28.09.2021।
एवं विभागीय पत्र क. 1606 / एफ-०२-०६/रा.यो./२०२०/१४-२ दिनांक 10.04.2023।

—००—

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। इस हेतु संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिंदु क्रमांक ५ के अनुसार "एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रक्खे में संशोधन की कार्यवाही ०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर तक की जावेगी।" तदानुसार खरीफ वर्ष 2024 में नवीन पंजीयन/संशोधन की कार्यवाही किया जाना है।

आदेशानुसार अनुरोध है कि एकीकृत किसान पोर्टल में दिनांक ०१ जुलाई से ३१ अक्टूबर 2024 तक पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रक्खे के संशोधन की कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का काष्ट करें।

(विकास मिश्र)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नवा रायपुर, दि२७/०६/२०२४

प्रतिलिपि :-

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुरूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग।
२. स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
३. निज सचिव, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फ़/2892 /एफ-03/19/विविध/2021/14-2 नवा रायपुर, दि 16/07/2024
प्रति,

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
5. संचालक, कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), मंत्रालय, रायपुर।

विषय: एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ: विभागीय पत्र क. 2540 दिनांक 27.06.2024।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा खरीफ वर्ष 2024 में एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों के पंजीयन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के संचालन संबंधी दिशा निर्देश में संशोधन हेतु जारी पत्र क. 3165 दिनांक 03.08.2023 द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन किये जाने के निर्देश है।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का काट करे।

(विकास मिश्र)

उप सचिव 16/07/24

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभागपृ.कं/2893/एफ-03/19/विविध/2021/14-2 नवा रायपुर, दि. 16/07/2024
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग।
2. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
3. निज सचिव, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग।

(प्रसाद)

छत्तीसगढ़ शासन 16/07/24

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

O/C

परिवर्तन ६

No 15-8/2004-Py.III(Pt.)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 18th May, 2017

To

1. The Principal Secretary / Secretary (Food),
Governments of Andhra Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha,
Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar
Pradesh and West Bengal.
2. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
3. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.
4. The Jute Commissioner, Kolkata.
5. Director General (S&D), DGS&D, New Delhi.

Subject: Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy.

Sir,

I am directed to refer to the "Guidelines for use of Paddy released jute bags which have been used only once for procurement of wheat, coarse grains & paddy regarding amendment in gunny depreciation" issued vide this department letter of even no. dated 04.02.2016 which has now been revised as given below.

2. The revised guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy have been approved by the Competent Authority. The same is enclosed herewith for further necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

23 MAY 2017

दिनांक १९.३. दि. ८.५.
सार्व, राष्ट्र, राज.आ. एवं उत्त. दिल्ली
दिनांक १२.३.२०१७-२०१७

(Brij Bihari Das)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:

1. Joint Secretary (BP&PD).
2. Joint Secretary (Impex, SRA & EOP&IC).
3. DS (Finance).
4. PS to JS (P&FCI).
5. PI Cell, FC A/Cs Section.

TL

PI-SK

India

SL (MS) }
JS (AS) } Together

Revised Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy:

- i) Once this policy comes into force, earlier policy of once used gunny bags issued vide letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 04.02.2016 will be superseded
- ii) Only new jute bags shall be made available for packaging of the quantum of rice to be procured under central pool.
- iii) These new jute bags shall be used for packaging of procured paddy along with the old bags subject to the condition that at least half of the procured paddy is to be filled in new jute bags in which rice is to be delivered after milling. The packaging of food grains during procurement should be ensured as per provisions of Jute Packaging Materials Act, 1987 (JPMA).
- iv) Old or any type of bags, irrespective of their marketing season, are permitted for packaging of procured paddy during procurement operation subject to condition that there is no loss of paddy in terms of quality and quantity. In case, any loss is experienced, it will be solely on account of State Government.
- v) Arrangement of any type of bags for packaging of procured paddy shall be the responsibility of concerned state Governments and their agencies.
- vi) For packaging of procured paddy in any type of bags during procurement operation, only usage charges shall be allowed in provisional cost sheet to State Government and will be fixed by GoI from time to time.

HJ
18/5/2017.

4/2/2017

No 15 (8) / 2017 - My III (P)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated September, 2017
5th October

To

- 1 The Principal Secretary/ Secretary (Food) Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
- 2 The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Revision of Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 as per existing guidelines.

I am directed to refer to this department letter of even no. dated 11.08.2017 wherein usage charges on the earlier recommendations from FCI @Rs 10/qtl for packaging of procured paddy as per existing guidelines were communicated.

2 Considering the requests regarding enhancement of usage charges made by States & on the basis of revised recommendations received from FCI, it is to inform that this department has decided to revise the usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 to lower of the actual claim of State Govt or Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a) The said usage charges shall be admissible subject to the State's Principal/Food Secretary or M.D of State Agency shall certify that for filling of paddy, the old bags arranged by the State/miller is being used only once after purchase. State shall also provide necessary supporting documents/certifications of gunny accounts.

b) In case State fails to provide appropriate documentation/certification, the usage charges shall be limited to Rs 3.75/bag for packaging of procured paddy in old bags or actual claim whichever is lower.

c) (i) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 & 0.68 respectively.

(ii) In case State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

d) The usage charge will be allowed for half of the quantity of paddy procured by State. Rest half of paddy is to be packed in new gunny bags in which rice is to be delivered subsequently.

e) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

3. This issues with the approval of competent authority

11 OCT 2017

Ranjan

V.S.
Patel

- 38 -

Yours faithfully,

(Brij Bihari Lal)
Under Secretary (My.III)
Ph: 011-23384448

SS(b/s)

JG
11/10/17

४२१२८८

No. 15/14/2018-Py.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhavan, New Delhi.

Dated Nov, 2018

13th Dec, 2018

- To
1. The Principal Secretary/ Secretary (Food),
All States/UTs.
 2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2018-19
onwards as per existing guidelines.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this department letter no. 15-8/2004.Py.III(Pl.) dated 18.05.2017 wherein guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy were communicated.

2 Considering the requests made by States relating to practical problems faced by them w.r.t conditions specified in usage charge for KMS 2017-18 in letter dated 05.10.2017 and discussion held with the States, it is to inform that this Department has decided to fix the usage charges for packaging of paddy for KMS 2018-19 as Rs 7.32/bag or the actual cost incurred by the State Govt, if it is lower than Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a) The concerned Agency/State Government shall maintain a proper account of the number of used jute bags procured and used for packaging of paddy procured in a Procurement Season in the format enclosed as Annexure-I. The account of bags shall have to be maintained at the level of the miller/SPA, if the procurement of old bags is done by them, and after compilation of said information, the State shall have to provide the following declaration along with the consolidated account of bags while submitting the claim for usage charges:

"This is certified that account of gunny bags furnished in the format as prescribed in Annexure-I of letter no dated For KMS/..... is based on actual details of Gunny bags maintained by the State/SPA's/millers"

Signature:(SPA/Secretary (Food), State)
Full Name:


छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

क्रमांक एफ 4-2/2024/29-1

नवा रायपुर, ३ अप्रैल, 2024

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पुराने बारदाने की व्यवस्था के संबंध में आरंभिक तैयारी अभी से किया जाना आवश्यक है। विपणन संघ द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 3.68 लाख गठान पुराने बारदाने की आवश्यकता बतायी गयी है। इसके लिए उचित मूल्य दुकानों में माह अप्रैल, 2024 में राशन वितरण के पश्चात बचत पीडीएस के जूट बारदानों को अभी से ही सुरक्षित रूप से रखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कड़िका 11(11) के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदानों में खाद्यान्न वितरण के पश्चात धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। अतः पीडीएस बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में केवल धान खरीदी हेतु ही किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों में संग्रहित पीडीएस बारदाने का धान खरीदी के दौरान उपलब्ध करायी जावे, इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिले में पीडीएस बारदाने के एकत्रीकरण कराने एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का कार्य कलेक्टर द्वारा की जावे। पीडीएस बारदाना एकत्रित, संग्रहित, सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की धान खरीदी हेतु एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं समितियों की होगी। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. बसवराजु एंस.)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

मृ. द्वारेंद्र एफ. 4-2/2024/29-1/

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर अटल नगर।
7. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, नवा रायपुर अटल नगर।
8. समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एनआईसी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

परिशिष्ट - 1

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी हेतु पीडीएस बारदाने एकत्रीकरण एवं उपयोग के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

1. जिले में खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन के आधार पर पुराने बारदानों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे ।
2. राशन दुकानों में पूर्व में भंडारित किये गये खाद्यान्न एवं आगामी समय में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न का जूट बारदाना राशन वितरण के पश्चात राशन दुकानदारों द्वारा विक्रय न किया जावे । उक्त बारदानों को यथासंभव राशन दुकान में ही सुरक्षित रूप से संग्रहित कर रखा जावे ।
3. ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां जो धान खरीदी करती है एवं राशन दुकान भी संचालित करती है, उनके द्वारा राशन वितरण के पश्चात शेष बारदाने समिति स्तर पर ही सुरक्षित रखा जावे ।
4. जिले में राशन दुकान विभिन्न संस्थाओं जैसे – ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार आदि के द्वारा संचालित किये जाते हैं। ऐसे राशन दुकानों के बारदानों को धान खरीदी हेतु निकटरथ समिति को प्रदाय किया जाना होगा, इसके लिए समिति से संलग्न राशन दुकानों की मैपिंग खरीफ वर्ष 2023-24 में की गई थी । किसी भी परिस्थिति में राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण पश्चात शेष पुराने जूट बोरों का विक्रय दुकानों द्वारा नहीं किया जाएगा । जिला स्तर इन निर्देशों का कियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में DRCS/ARCS खाद्य अधिकारी तथा डी.एम.ओ. द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।
5. यथासंभव पुराने बोरों का भंडारण समिति स्तर पर सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, चूंकि इनका अंततः उपयोग समिति स्तर पर ही होना है। किंतु मार्कफेड द्वारा भी आवश्यकतानुसार पुराने बोरों के संग्रहण/ एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर बारदाना संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जावे, जहां से पुराने बोरे खरीदी केन्द्रों को प्रदाय किए जाएंगे ।
6. राशन दुकानों को जारी प्रतिमाह राशन आवंटन को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण के पश्चात बचत बारदानों का आकलन कर लिया जावे । बचत बारदानों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य दुकानों में स्थान की उपलब्धता बनाये रखने हेतु बारदानों का समयानुसार उठाव कराकर बारदाना संग्रहण केन्द्रों में/समितियों में (रथान की उपलब्धता अनुसार) भण्डारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।
7. संग्रहण केन्द्रों/ समिति में पीडीएस के एकत्रित पुराने बारदानों के सुरक्षित रखरखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
8. मार्कफेड द्वारा पीडीएस के बारदानों की प्राप्ति, वितरण, भुगतान इत्यादि के संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार प्रावधान एन.आई.सी. के सहयोग से किया जावे ।
9. राशन दुकानों से प्राप्त बोरों पर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदाय किया जावेगा ।
10. मार्कफेड द्वारा पीडीएस बारदानों की व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश प्रसारित किया जावे ।

(डॉ. बसवराज एस.)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-दो, तृतीय तल, नवा रायपुर

क्रमांक १०५ / वि.मावि. / धान खरीदी / 2024
 प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक २३/०९/2024

समस्त सहायक नियंत्रक / निरीक्षक
 विधिक मापविज्ञान
 छत्तीसगढ़.

विषय :- धान खरीदी तथा संग्रहण केन्द्रों के बांट-माप के सत्यापन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के संदर्भ में धान उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों पर उपयोग में लाए जाने वाले बांट-माप तथा तौल यंत्रों के सत्यापन कार्य किया जाना है।

उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों के बांट-माप एंव तौल-यंत्रों का विधिमान्य सत्यापन 20 अक्टूबर 2024 तक करना सुनिश्चित करेंगे एंव प्रत्येक सोमवार को कार्य के प्रगति से कार्यालय को अवगत करावें।

नियंत्रक २३/०९
 विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
 नवा रायपुर अटल नगर

पृ. क्र १०५ / वि.मावि. / धान खरीदी. / 2024
 प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक २३/०९, 2024

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

नियंत्रक २३/०९
 विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
 नवा रायपुर अटल नगर

खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा खरीदी केन्द्रों में चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण का प्रतिवेदन

उपार्जन केन्द्र -

दिनांक -


क्रमांक	विषय	निरीक्षण में पाइ गई स्थिति का विवरण
1	उपार्जन केन्द्रों हेतु स्थल चयन एवं साफ सफाई, फेरिंग	
2	विद्युत व्यवस्था है	
3	कम्प्यूटर सेट्स चालू हालत में है	
4	प्रिंटर चालू हालत में है	
5	यू.पी.एस. चालू हालत में है	
6	जनरेटर चालू हालत में है	
7	इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता	
8	तौल हेतु कुल इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र/कांटा बांट सेट्स की आवश्यकता	
9	उपार्जन केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र/कांटा बांट सेट्स की उपलब्ध संख्या	
10	बायोमैट्रिक डिवाइस की उपलब्धता	
11	आद्रतामापी यंत्र का केलिब्रेशन कराया गया है	
12	कांटा बांट का नाप-तौल विभाग से सत्यापन का दिनांक	
13	बारदानों की उपलब्धता -नये बारदाने	
14	बारदानों की उपलब्धता PDS-बारदाने	
15	पुराने बारदाने	
16	नए बारदानों में लगाये जाने वाले स्टेनसिल की व्यवस्था	
17	रंग एवं सुतली की व्यवस्था	
18	उपार्जन केन्द्र डाटा एन्ट्री आपरेटर की उपलब्धता	
19	उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में कमचारी की उपलब्धता	
20	पर्याप्त संख्या में हमारों की व्यवस्था	
21	फड़ में भण्डारण हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टेयर में)	
22	खरीदी केन्द्र की बफर लिमिट की मात्रा	
23	उपलब्ध चबूतरों की संख्या	
24	तारपोलिन (प्लास्टिक) की कुल आवश्यकता (संख्या)	
25	तारपोलिन (प्लास्टिक) की उपार्जन केन्द्र में उपलब्धता (संख्या)	
26	डनेज की व्यवस्था	
27	किसान पंजीयन की स्थिति	
28	निकटतम संग्रहण केन्द्र का नाम एवं दूरी (कि मी. में)	
29	प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था	
30	पीने के पानी की व्यवस्था	
31	समर्थन मूल्य के प्रदर्शन हेतु बेनर/पोस्टर लगाना	
32	ओसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) स्पेसोफिकेशन का प्रदर्शन (दीवार में लिखकर)	
33	ओसत अच्छी किस्म का सेम्पल प्रदर्शित करना	
34	निगरानी समिति की नियुक्ति की स्थिति	
35	धान सुरक्षा एवं भण्डारण व्यय हेतु प्राप्त अग्रिम राशि विवरण (रु. में)	

दिनांक -

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम -

पदनाम -

हस्ताक्षर -



प्र० १९२१४-१४
१३-८-१९

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/08/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards.

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms.

क्रमांक. १२६७
दिशेष संचय । खात्य । २०१९

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

Dated: 20/05/2018
Date: 20/05/2018
(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों की सूची

क्रमांक	उपार्जन केन्द्र का नाम
1	लरकेनी
2	लालपुर
3	सिवनी
4	जामगांव
5	लारा
6	अमलीपाली
7	रेगालपाली
8	डुलोपाली
9	सरिया
10	धौराभांडा
11	झिकलीपाली
12	बड़े नावापारा
13	पुकापारा
14	साकरा
15	लिबरा
16	लोईग
17	साल्हेवारा
18	कल्लू बंजारी
19	जयसिंह टोला
20	विल्हाटी
21	नचनिया
22	रामपुर
23	बकरकट्टा
24	बोरतालाब
25	सङ्क छिरछारी (खोमा)
26	झाखरपारा
27	ढोरा
28	रसेला
29	तेतलखुंटी
30	दुल्ला
31	देवभोग
32	उरमाल
33	अकोरी
34	सिरबोडा
35	बलौदा
36	पटपरपाली
37	खेमडा
38	गढ़फूलझर
39	चिंवराकुंटा
40	देवरी

क्रमांक	उपार्जन केन्द्र का नाम
41	नर्सा
42	बेल्डीह
43	जेराभरण
44	सल्डीह
45	परसवानी
46	बुंदेली
47	बाघामुड़ा
48	कसेकेरा
49	कछारडीह
50	मुनगाशेर
51	कोमाखान
52	सुखीपाली
53	टोसगांव
54	जगलबेड़ा
55	सेमलिया
56	कामेश्वरनगर
57	चान्दो
58	भंवरमाल
59	रामचन्द्रपुर
60	बसंतपुर
61	वाडफनगर
62	गम्हरीया
63	कोनपारा
64	तपकरा
65	दुलदुला
66	चैनपुर
67	माड़ीसरई
68	नवगाई
69	किस्टाराम
70	जोब
71	निमधा
72	साल्हेभाठा
73	इंदरपुर
74	कस्तुरा
75	समडमा
76	गौरडीह

१५००५